<u>दिनांक 20-04-2020 से विश्वविद्यालय मैं प्रवेश हेतु नियम व शर्तें</u>

1. प्रवेश द्वार संख्या 1, 2, 4 एवं 5 द्वारा पैदल आने और जाने के लिए अनुमति दी जाएगी, साथ ही किसी भी प्रकार के वाहन से प्रवेश करने के लिए प्रवेशद्वार संख्या 1 व 2 द्वारा अनुमति दी जाएगी।

2. परिसर में प्रवेश हेतु आई कार्ड/आधार कार्ड/फीस रसीद या वाहन पर लगाए जाने वाले गेट पास स्टीकर आवश्यक होंगे।

3. किसी वाह्य व्यक्ति को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने के पूर्व मुख्य द्वार पर अपना नाम एवं वाहन संख्या पंजीकृत करना आवश्यक होगा।

4. विश्वविद्यालय खुलने के उपरांत पूरे परिसर में धारा 144 लागू रहेगी तथा 5 से ज्यादा की संख्या में एक साथ कहीं भी टहलना अथवा एकत्रित होना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन करना भी अनिवार्य होगा।

5. परिसर में बिना मास्क पहन के प्रवेश करने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। अतः विश्वविद्यालय आने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क का प्रयोग करना आवश्यक होगा।

6. विश्वविद्यालय परिसर में वाहन से आने वालों को अपने वाहन पार्किंग एरिया में ही लगाने होंगे अथवा सुरक्षा गार्ड के बताए गए स्थान पर वाहन को खड़ा करना होगा।

7. इस बीच परिसर में कहीं भी थूकना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा और ऐसा करने पर आईपीसी की धारा के अंतर्गत थूकने वाले पर कार्यवाही की जाएगी।

चीफ प्रॉक्टर